आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉंची

अधिग्रहण वाद सं० 37 आर० 28/2022–23

राज्य

बनाम

04
06-07-2023

(1) शीला देवी, पति बिनोद कुमार प्रजापति, निवासी – इरगु रोड, शिव मंदिर के निकट, कुम्हार टोली राँची, थाना सदर, जिला–राँची (वहान सं० JHOIEA 7895 के स्वामिनी)

(2) मनीष राही, पिता–बलदेव भारती, निवासी बंदना निवास, बी०के० इन्टीच्युट के पास, बेलवागसन सामलौंग, थाना–नामकुम, जिला–राँची (वाहन सं० JH01DQ 6881 के स्वामी)

(3) फगुआ उराँव, पिता– कंदन उराँव, निवासी हाउस नं०–45, मोहल्ला – नेहाल गर्धा नवाडीह, बुण्डू (वाहन सं० JH01T– 7566 के स्वामी)

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची के पत्रांक सं0 1111/अप०शा० (ग्रा०) दिनांक 28.02.2023 द्वारा दशमफॉल थाना कांड सं0–26/22, दिनांक 03.08.2022 धारा–379 भा०द०वि० एवं 4/21 MMDR Act 1957–4/54, JMMC Rule 2004 –7/11/13 of Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 मे जप्त वाहन संख्या – (1) JHOIEA 7895 (2) JH01DQ 6881 (3) JH01T– 7566 को राजसात की कार्रवाई करने हेतु अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदनानुसार जिला खनन कार्यालय रॉंची के खान निरीक्षक विश्वनाथ उराँव पिता स्व० भिखा ग्राम उचरी पोस्ट नगड़ा थाना मांडर, जिला राँची, दिनाक 03.08.2022 को थाना प्रभारी, दशमफॉल थाना, रांची के डी०आर० सं० 343/22 दिनांक 03.08.2022

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 02.08.2022 की रात्रि में गश्ती दल द्वारा चेकिंग के दौरान एन0एच0 33 रांची–टाटा मार्ग स्थित दशमफॉल यात्री रोड के पास अवैध रूप से बालू परिवहन करते हुए टर्बो वाहन संख्या (1) JHOIEA 7895 (2) JH01DQ 6881 (3) JH01T– 7566 को पकड़कर थाना परिसर दशमफॉल में सुरक्षार्थ रखा गया है। सूचक के द्वारा दिनांक 03.08.2022 को समय 3:30 बजे अपराहन में जाँच के क्रम में वाहन संख्या (1) JHOIEA 7895 (2) JH01DQ 6881 (3) JH01T– 7566 पर बालू खनिज करीब 150 घनफीट प्रत्येक वाहन पर पाया गया। एन०जी०टी० के द्वारा पारित आदेश के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर पर नदी से बालू का उठाव पर रोक लगाई गई है।

उपरोक्त अवैध बालु के उठाव एवं परिवहन करने के कारण जिला खनन कार्यालय रॉची के खान निरीक्षक विश्वनाथ उराँव के लिखित अभ्यावेदन पर दशमफॉल थाना कांड सं0–26/22, दिनांक 03. 08.2022 धारा–379 भा०द०वि० एवं 4/21 MMDR Act 1957–4/54, JMMC Rule 2004 –7/11/13 of Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 दर्ज किया गया तथा उपरोक्त वाहनो का विधिवत जप्त किया गया।

अनुसंधानित स्थिति मे जप्त वाहन पर लदे बालू की वैधनिकता के संदर्भ मे न तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य मिले है ना ही उक्त अनुसार अभियुक्तों के द्वारा कोई तथ्यात्मक कागजात ही प्रस्तुत किये गये है।

विपक्षी के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रस्तुत वाद की काईवाई विपक्षी के खिलाफ पोषणीय नही है। प्राथमिकी मे दर्ज सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त वाहन डम्प मे मौजुद थे, जबकि जप्ती सूची मे उक्त वाहन पर बालु लोड दर्शाया गया है। वाहन जप्त करने के समय वहाँ कोई मौजुद नही था। विपक्षी द्वारा उपरोक्त वाहन अपने जीवन यापन हेतु फाईनान्स कराकर क्रय किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने चालक को

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

3

यह सख्त हिदायत दी गई थी कि वे उक्त वाहन मे कोई गैरकानूनी कार्रवाई नही करेंगें, परन्तु वाहन चालक द्वारा बिना विपक्षी के जानकारी के उक्त वाहन पर कथित तौर पर बालु का परिवहन किया गया है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वाहनो मे लदे बालु के वैधनिकता के संदर्भ मे ना तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य ना ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। विपक्षी /वाहन मालिक यह भी प्रमाणित करने मे असमर्थ रहे है कि उनके उक्त वाहनो मे अवैध बालु उनके अनुमति एवं जानकारी के बगैर परिवहन किया जा रहा था। एन०जी०टी० के द्वारा पारित आदेश के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर पर नदी से बालू का उठाव पर रोक लगाई गई थी, अतः उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि विपक्षी द्वारा अपने उक्त वाहनों मे बालु का अवैध परिचलन किया जा रहा था।

अतः दशमफॉल थाना कांड सं0–26/22, दिनांक 03.08.2022 मे जप्त वाहन संख्या–(1) JHOIEA 7895 (2) JH01DQ 6881 (3) JH01T– 7566 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामिण, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.31 20:52:41 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:20ad:86e:3f57:d4b9